न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 60 / 2025

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
निरमा पुत्री श्री पुरखाराम जाति विश्नोई निवासी शेरपुर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर (आवेदक उचित मूल्य दुकान ग्राम शेरपुर, तहसील सेड़वा)		1. राजस्थान राज्य जिला रसद अधिकारी बाड़मेर 2. संगीता पुत्री श्री फगलूराम जाति विश्नोई निवासी चम्पाबेरी, शेरपुर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध आदेश क्रमांक 705 दिनांक 10.10.2025 द्वारा जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश कुमार, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री खेताराम बेनीवाल, अधिवक्ता उतरदाता सं. 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 14.01.2026

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 705 दिनांक 10.10.2025 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उतरदाता संख्या 1 द्वारा बाड़मेर जिले में कुल 14 रिक्त/नवसृजित दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओ से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमिन आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमें अपीलांट के ग्राम शेरपुरा अनारक्षित हेतु भी विज्ञप्ति जारी की गई थी तथा अपीलकर्ता ग्राम पंचायत शेरपुरा तहसील सेडवा की मूल निवासी है एवं अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की योग्यता एवं मेरिट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आधार पर चयन नही कर कम वरियता के आवेदक का चयन किया गया। इस प्रकार उतरदाता संख्या 1 द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अपीलकर्ता में सभी योग्यता है। अपीलकर्ता द्वारा अपना आवेदन पत्र मय दस्तावेज उतरदाता संख्या 1 के कार्यालय में जमा करवाये। उतरदाता संख्या 2 द्वारा आवेदन जमा किये जाने की तिथि तक चयनित अभ्यर्थी के परिचय–पत्र, आधार, राशनकार्ड आदि में उसके पता बूल, कोजा तहसील धोरीमन्ना था। तत्पश्चात उतरदाता संख्या 02 संगीता द्वारा बाद में ग्राम चम्पाबेरी के पते के दस्तावेज बनाकर विभाग में पेश किये जो कि अविधिक है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उतरदाता संख्या 02 संगीता के पिता ने चम्पाबेरी में जो कृषि भूमि क्रय की गई है उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में संगीता के पिता की सकूनत राणासर कलां, तहसील धोरीमन्ना अंकित है, जिससे भी यह प्रमाणित है कि आवेदन संगीता मूल रूप से अन्य ग्राम पंचायत की निवासी है। उतरदाता संख्या 02 द्वारा मात्र इस विज्ञप्ति में गलत रूप से चयनित होने के आशय से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपना चयन करवाया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। इसके साथ ही उतरदाता संख्या 02 द्वारा अपने आवेदन में अपनी केटेगरी परित्यक्ता अंकित की है जबकि उसका रहवास उसके पति के साथ ही है, इसलिये उसका नाम उसके पति के राशनकार्ड में भी अंकित है। इस प्रकार उतरदाता संख्या 02 द्वारा स्वयं को ग्राम चम्पाबेरी की निवासी बताते हुए शेरपुर ग्राम की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन कर गलत तरीके से अपना चयन करवाया गया है। इसके बावजूद उतरदाता संख्या 1 द्वारा उतरदाता संख्या 2 का आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक प.15(24)(1)रसद / 2025 / 705 दिनांक 10.10.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम शेरपुरा तहसील सेड़वा की उचित मूल्य दुकान डीलर हेतु चयन किया गया एवं प्राधिकार पत्र जारी किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। अपील के संलग्न मयाद प्रार्थना–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र मय [illegible] प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested

3. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदातागण को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट किया कि उतरदाता संख्या 1 द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमे स्पष्ट रूप से आवेदक की योग्यताएं एवं शर्तों का विवरण भी दिया गया था जिसमें शर्त संख्या 1 में अंकित किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस पंचायत मे उचित मूल्य दुकान स्थित है। अपीलार्थी राजस्व गांव पुरावा ग्राम पंचायत शेरपुरा की मूल निवासी है जबकि उतरदाता संख्या 2 ग्राम बूल ग्राम पंचायत कोजा की मूल निवासी है। इसके बावजूद उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा उतरदाता संख्या 2 का चयन करने मे कानूनन व इंसाफन भूल की है जिससे आलोच्य आदेश निरस्त योग्य किये जाने योग्य है।

5. उतरदाता संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चयन प्रक्रिया के तहत उचित मूल्य दुकानों के आवटंन हेतु जारी दिशा निर्देशों की पालना में ही आवंटन प्रक्रिया को सम्पन्न किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि उतरदाता संख्या 02 द्वारा दस्तावेज पश्चावर्ती जारी किये गये परन्तु साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी उतरदाता संख्या 02 संगीता का राशन कार्ड इत्यादि में ग्राम शेरपुरा में दर्ज हैं। अपीलांट ने गलत तरीके से प्रस्तुत किये जिसमें पूर्व में जो संगीता के दस्तावेज थे जिनमें संगीता के ससुराल का पता दर्ज था। वर्तमान में संगीता का तलाक होने से समस्त दस्तावेज इसी गांव चम्पाबेरी, शेरपुर के है। अधिवक्ता उतरदाता संख्या 02 का कथन है कि अपीलांट ने अपने दस्तावेजों को छिपाकर यह अपील पेश की है जबकि अपीलांट निरमा शेरपुर ग्राम की निवासी नहीं होकर बांधनिया, फागलिया की निवासी है। उक्त संबंध में जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा राशन कार्ड निरस्तीकरण प्रमाण दिनांक 01.07.2025 जारी किया है जो विज्ञप्ति तारीख के बहुत समय बाद जारी की गई है। उक्त एनओसी में परिवार की राशनकार्ड श्रेणी एपीएल में अपीलांट का अ[illegible] नरेन्द्र कुमार के साथ नाम दर्ज है। इस प्रकार अपीलां[illegible] आधारहीन व मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से अपील खारिज फरमा[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने अपीलार्थी एवं उतरदाता संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उतरदाता

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

संख्या 1 द्वारा बाड़मेर जिले में कुल 14 रिक्त / नवसृजित दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों / संस्थाओ से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमिन आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। उतरदाता संख्या 1 द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमे स्पष्ट रूप से आवेदक की योग्यताएं एवं शर्तों का विवरण भी दिया गया था जिसमें शर्त संख्या 1 में अंकित किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस पंचायत मे उचित मूल्य दुकान स्थित है। इस प्रकार उतरदाता संख्या 1 द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अपीलकर्ता में सभी योग्यता है। इस कारण अपीलकर्ता द्वारा अपना आवेदन पत्र मय दस्तावेज उतरदाता संख्या 1 के कार्यालय में जमा करवाये। उतरदाता संख्या 2 जो वर्तमान में राजस्व गांव बूल ग्राम पंचायत कोजा की मूल निवासी है। इसके बावजूद उतरदाता संख्या 1 द्वारा उतरदाता संख्या 2 का आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्व ग्राम शेरपुरा की उचित मूल्य दुकान हेतु चयन किया गया एवं प्राधिकार पत्र जारी किया गया। उतरदाता सं. 2 के अधिवक्ता का कथन हैं कि अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि उतरदाता संख्या 02 द्वारा दस्तावेज पश्चावर्ती जारी किये गये परन्तु साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी उतरदाता संख्या 02 संगीता का राशन कार्ड इत्यादि में ग्राम शेरपुरा में दर्ज हैं। अपीलांट ने गलत तरीके से प्रस्तुत किये जिसमें पूर्व में जो संगीता के दस्तावेज थे जिनमें संगीता के ससुराल का पता दर्ज था। वर्तमान में संगीता का तलाक होने से समस्त दस्तावेज इसी गांव चम्पाबेरी, शेरपुर के है। हमने अपीलार्थी एवं उतरदाता संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें पाया जाता है कि रेस्पो. संख्या 02 द्वारा अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01, बाड़मेर में दीवानी विविध (हिन्दू विवाह अधि.) प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जो दर्ज रजि[illegible] 60 / 2024 अनवान संगीता बनाम श्रवण कुमार किया [illegible] प्रार्थना–पत्र में विवाह विच्छेद का निर्णय दिनांक 19.03.2025 को पारित किया गया है, जिसमें रेस्पो. संख्या 02 द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र में अपना निवास राणासर कलां नया राजस्व गांव खींचडों की ढाणी, कुम्हारों की बेरी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर बताया

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर बाड़मेर

गया है। इसके साथ ही रेस्पो. संख्या 02 के पिता द्वारा ग्राम चम्पाबेरी पटवार हल्का बामड़ला में कृषि भूमि क्रय किये जाने के उपरांत दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं जो वर्तमान निवास के संबंध में मान्य नहीं किये जा सकते हैं। इस प्रकार उतरदाता सं. 2 द्वारा अपनी पात्रता के संबंध में तथ्यों को छिपाकर चयन प्रक्रिया में भाग लिया हैं तथा अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा भी इस संबंध में बिना जांच किये उतरदाता सं. 2 का अपीलाधीन आदेश के द्वारा चयन किया हैं जो विधि सम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमिन आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत ग्राम शेरपुरा अनारक्षित हेतु उतरदाता सं. 1 द्वारा जारी आदेश क्रमांक :प.15(24)(1)/रसद/2025/705 दिनांक 10.10.2025 का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी एवं उतरदाता सं. 2 की पात्रता की पूर्ण जांच कर विभागीय दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से चयन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested